मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 9 मार्च, 2017 (फाल्गुन 18, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों (प्रश्न संख्या .1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एवं 13) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 157 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 185 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी जिले के कई ग्रामों के पेंच व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहरों से वंचित होने,

(2) पं.रमेश दुबे, सदस्य की विधानसभा क्षेत्र चौरई के बिछुआ विकासखण्ड के शासकीय महाविद्यालय में कक्षायें बढ़ाने,

(3) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य की पोहरी विधानसभा क्षेत्र के शासकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ न किये जाने,

(4) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, सदस्य की कुक्षी क्षेत्र में विद्युत कटौती होने,

(5) श्री घनश्याम पिरौनिया, सदस्य की भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चांदनी में शासकीय महाविद्यालय के सामने नहर पर पुलिया का निर्माण करने,

(6) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की मंदसौर, रतलाम एवं नीमच जिलों में डोडा चूरा की खरीदी में कालाबाजारी होने,

(7) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य की राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ब्यावरा तहसील में ग्राम लूसल्डियागुर्जर से नालबंदी के मध्य अजनार नदी पर पुलिया का निर्माण न होने,

(8) डॉ.योगेन्द्र निर्मल, सदस्य की बालाघाट जिले के वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के शासकीय महाविद्यालय में एम.एस.सी.संकाय प्रारंभ कराने,

(9) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य की आगर जिले के नलखेड़ा स्थित बगुलामुखी मंदिर में आवश्यक सुविधाओं का अभाव होने तथा

(10) श्री बाला बच्चन, सदस्य की रतलाम जिले में सैलाना-बांसवाड़ा मार्ग की पुलियाओं को ठीक नहीं किये जाने सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

3. शून्यकाल में उल्लेख

(1) शासकीय योजनाओं और सामाजिक परिस्थितियों में "विधवा" के स्थान पर "कल्याणी" शब्द का प्रयोग करने विषयक

श्रीमती अर्चना चिटनिस, महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा उल्लेख किया गया कि कल उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया था कि जैसे हमने "नि:शक्तजन" के लिये "दिव्यांग" शब्द का प्रयोग शुरू किया है, वैसे ही शासकीय योजनाओं में और सामाजिक परिस्थितियों में भी "विधवा" शब्द का प्रयोग भी बंद हो, हम उसके स्थान पर कोई अच्छा और सकारात्मक शब्द प्रयोग करें, जिससे विधवा बहिनों में अकेले होने की कुंठा हमेशा न बनी रहे. मुख्यमंत्री महोदय ने कल निर्णय लेकर यह घोषणा की है कि मध्यप्रदेश में अब इसके स्थान पर "कल्याणी" शब्द का प्रयोग किया जाएगा. मंत्री महोदया द्वारा समस्त महिलाओं की ओर से मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया गया.

(2) मध्यप्रदेश में आतंकी संगठनों की बढ़ती गतिविधियों पर सदन में चर्चा की मांग करने विषयक

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, श्री के.पी. सिंह एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण द्वारा उल्लेख किया गया कि उन्होंने प्रदेश में आतंकी संगठन आई.एस.आई.एस. की बढ़ती हुई गतिविधियों एवं पैसेंजर ट्रेन में बम विस्फोट की घटना के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं दी हैं. उसमें आपने कहा था कि हम इसको चर्चा में ले लेंगे लेकिन आज पूरा सप्ताह निकल गया है.

डॉ.नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्यमंत्री ने मत व्यक्त किया कि नेता प्रतिपक्ष महोदय एवं सम्मानित सदस्यगण जिस रूप में चाहें, चर्चा करा लें. हम भी यही चाहते हैं. सरकार चर्चा कराने को तैयार है.

अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि हम किसी न किसी रूप में उस विषय को चर्चा में ले लेंगे. माननीय नेता प्रतिपक्ष से चर्चा के माध्यम से समय निर्धारित करके उसकी सूचना आप सबको दे देंगे. यह काम हम जल्दी कर लेंगे.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री अंतर सिंह आर्य, पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

(2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

5. ध्यानाकर्षण

(1) श्री प्रताप सिंह, सदस्य ने दमोह जिले में शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होने की ओर लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री रूस्तम सिंह, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्री कैलाश चावला, सदस्य ने नीमच जिले के मनासा क्षेत्र में कृषकों पर प्रकरण कायम किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने वक्तव्य दिया.

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री रामसिंह यादव, सदस्य ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2017 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्रमांक	माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक – 26	श्री के.पी. सिंह	45 मिनट
2.	क्रमांक – 43	श्री यशपाल सिंह सिसौदिया	30 मिनट
3.	क्रमांक - 49	श्री सुखेन्द्र सिंह	30 मिनट

श्री रामसिंह यादव, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(2) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(3) श्री चम्पालाल देवड़ा (जिला-देवास)
(4) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(5) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(6) पं.रमेश दुबे (जिला-छिन्दवाड़ा)
(7) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़
(8) श्री वीरसिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(9) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक (जिला-छतरपुर)
(10) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(11) श्री रामपाल सिंह (जिला-शहडोल)
(12) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(13) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(14) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(15) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल (जिला-धार)
(16) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(17) श्री कुंवर जी कोठार (जिला-राजगढ़)
(18) कुंवर हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(19) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(20) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा)
(21) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(22) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मन्दसौर)
(23) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(24) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(25) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
(26) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)

8. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि आज भोजनावकाश नहीं होगा, भोजन की व्यवस्था दोपहर 1.00 बजे से सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

9. वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों पर मतदान .... (क्रमशः).

(6) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की मांगों पर दिनांक 8 मार्च, 2017 को हुई चर्चा के क्रम में श्री रूस्तम सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(7) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए एक हजार पांच सौ बत्तीस करोड़, पचानवे लाख, चौबीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए तिहत्तर करोड़, तिरासी लाख, बानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 46	विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिए दो सौ चौंतीस करोड़, तिरेपन लाख, इक्कीस हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए दो हजार दो सौ तेरह करोड़, छियासी लाख, छब्बीस हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री बहादुर सिंह चौहान
(3) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(4) श्री केदारनाथ शुक्ल
(5) श्री के.पी. सिंह

सभापति महोदया (श्रीमती नीना विक्रम वर्मा) पीठासीन हुई.

(6) श्री दुर्गालाल विजय
(7) श्री शैलेन्द्र पटेल
(8) श्री मुरलीधर पाटीदार
(9) श्री सुखेन्द्र सिंह
(10) श्री इन्दर सिंह परमार

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(11) श्रीमती ऊषा चौधरी
(12) श्री आर.डी. प्रजापति
(13) श्री दिनेश राय
(14) श्रीमती शीला त्यागी
(15) श्री वेलसिंह भूरिया
(16) कुंवर सौरभ सिंह
(17) श्री नारायण सिंह पंवार
(18) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)
(19) डॉ. योगेन्द्र निर्मल
(20) श्री हरदीप सिंह डंग
(21) श्री शंकरलाल तिवारी
(22) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा
(23) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा

(24) डॉ. कैलाश जाटव
(25) श्री दिलीप सिंह परिहार
(26) श्री सतीश मालवीय
(27) श्री जितू पटवारी

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(8) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 5	जेल के लिए दो सौ सतानवे करोड़, छत्तीस लाख, सत्ताइस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए तीन हजार एक सौ अठहत्तर करोड़, उनतीस लाख, तीन हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सभापति महोदया (श्रीमती नीना विक्रम वर्मा) पीठासीन हुई.

(1) श्री मुकेश नायक

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(2) श्री के.के. श्रीवास्तव
(3) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(4) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
(5) श्री दिलीप सिंह शेखावत
(6) कुंवर सौरभ सिंह
(7) श्री दिनेश राय
(8) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(9) श्रीमती शीला त्यागी
(10) श्री बहादुर सिंह चौहान
(11) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
(12) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष
(13) श्रीमती ममता मीना

10. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्य सूची के पद क्रमांक 6 के उप पद क्रमांक 3 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.

11. वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों पर मतदान .... (क्रमशः).

(14) श्री दिलीप सिंह परिहार
(15) श्री प्रताप सिंह
(16) श्री नारायण सिंह पंवार
(17) श्री मुरलीधर पाटीदार
(18) श्री मानवेन्द्र सिंह
(19) श्री लखन पटेल
(20) श्री कुंवर जी कोठार
(21) डॉ. योगेन्द्र निर्मल
(22) श्री दुर्गालाल विजय
(23) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक
(24) श्री वेलसिंह भूरिया
(25) श्री आर.डी. प्रजापति

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 6.27 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2017 (19 फाल्गुन, शक सम्वत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 9 मार्च, 2017